

[श्री कंवर लाल गुप्ता]

जानते थे उनकी बेंच बना दी लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एम० ए० की परीक्षा हिन्दी में दी उनको पहले तो कहा गया कि पंच जांचे नहीं जायेंगे और बाद में कहा कि वे फेल हैं। मेरा चार्ज है कि उनको इसलिए फेल किया गया कि उन्होंने हिन्दी में लिखा था।

एक बात मुझे यह कहनी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नक्सलाइट्स की तादाद बढ़ रही है। वहां पर वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स को डील करने में जो मजबूती दिखाई, मैं उसका समर्थन करता हूँ लेकिन मैं यह स्मेल करता हूँ कि वे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक पार्टी और दूसरी पार्टी में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। उन्होंने जिन बच्चों को रस्टीकेट किया उस में कुछ पार्टी के लोगों को कम सजा दी या नहीं दी लेकिन दूसरों को ज्यादा सजा दी जोकि उनका विरोध करते हैं। मेरा चार्ज है कि फेकल्टी आफ आर्ट्स की बिल्डिंग में बरामदे के बोच में नक्सलाइट्स का लिट्टेचर बिकता रहा लेकिन वाइस चांसलर ने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इस तरह से उनकी हमदर्दी इनडायरेक्टली कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में है। मैं उनके इस कार्य की निन्दा करता हूँ। साथ साथ उन्होंने ने जो मजबूत कदम अठाया उसमें मैं उनके साथ हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे इस प्रकार का कोई काम वहाँ पर यूनिवर्सिटी में न करें जिसमें कि किसी प्रकार से भी पालिटिक्स की गंध आती हो। जो रस्टीकेशन बच्चों का हुआ है, मैं माँग करूँगा कि उन बच्चों को दाखिल किया जाए। उनके खिलाफ जो कार्यवाही हुई है उसको वापिस लिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपने इस निन्दा के प्रस्ताव को रखना चाहता हूँ। I move :

"This House disapproves of the Delhi University (Amendment) Ordinance 1970 (Ordinance No. 4 of 1970) promulgated by the President on the 20th June, 1970."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Bhandare ... (Interruptions). There is a procedural thing, Dr. Rao, you may move the motion.

DR. V. K. R. V. RAO : I have to make a speech.

15 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : At 3 p. m. we have got to take up private Members's business. The hon. Minister can move the motion and make his speech.

DR. V. K. R. V. RAO : I shall start the speech and then continue on the next day.

I beg to move :

"That the bill further to amend the Delhi University Act, 1922, as passed by Rajya Sabha, to be taken into consideration".

In introducing this motion for consideration, I would like to thank the gentleman who spoke before me earlier and covered many things.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Minister may continue on the next occasion.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA : The hon. Minister, instead of saying 'gentleman' should say 'My beloved pupil'.

SHRI RANDHIR SINGH : He has ceased to be beloved, since he has insulted his guru.

DR. V. K. R. V. RAO : I shall come to the pupil stage later.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, we shall take up Bills to be introduced. Shri Nath Pai. The hon. Member is absent.

15.01 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Article 163)

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : मैं विधेयक को

पेश करता हूँ ।

UTILIZATION OF LAND
ADJOINING RAILWAY
TRACK BILL*

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि रेल पटरी के दोनों ओर की समीपस्थ भूमि का खेती-बाड़ी के लिए उपयोग करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पेश करनी की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the utilization of land adjoining railway track on both sides for agricultural purposes."

The motion was adopted.

श्री रघुबीरसिंह शास्त्री : मैं विधेयक को पेश करता हूँ ।

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Section 488)

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898."

The motion was adopted.

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : मैं विधेयक को

पेश करता हूँ ।

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Amendment of Third Schedule)

श्री शिव चन्द्र भ्वा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के अनुसंधान में और संशोधन करने वाले विधेयक की अनुमति दी जाये ।

SHRI B. P. MANDAL : I oppose it.

श्री मोल्लू प्रसाद (बासगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मेम्बरस के विधेयक का विरोध नहीं किया जाता ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Under the rules, he has got to give notice in writing that he wants to oppose the introduction. He cannot just get up and oppose it.

DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

The motion was adopted.

श्री शिव चन्द्र भ्वा : मैं विधेयक को पेश करता हूँ ।

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Amendment of Article 74)

श्री ओम प्रकाश त्यागी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।